कार्यालय–जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, सोनभद्र।

पत्रांक– C-2204 / जि0का0अधि0 / आ0बा0 / विज्ञप्ति / 2025–26 / दिनांक– 15.11.2025

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या –1 / 1092245 / 2025 / 3313 / 58–1–2025(1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना **बभनी, चोपन, म्योरपुर, घोरावल एवं शहर** में आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदो पर चयन हेतु विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पद पर पात्र महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदो का विकास खण्ड / परियोजनावार विवरण निम्नवत है –

क्र0सं0	परियोजना का नाम	रिक्त पदों का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदो की श्रेणी				कुल योग कॉलम (5+6+7+8)
				SC	ST	OBC	GEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बभनी	आं0बा0 कार्यकत्री	2	2	0	0	0	2
3	चोपन	आं0बा0 कार्यकत्री	3	1	0	1	1	3
5	घोरावल	आं0बा0 कार्यकत्री	5	1	3	0	1	5
6	म्योरपुर	आं0बा0 कार्यकत्री	6	3	0	3	0	5
9	शहर	आं0बा0 कार्यकत्री	6	1	0	1	4	6
योग			**22**	**8**	**3**	**5**	**6**	**22**

1. विज्ञाप्ति में प्रकाशित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगें।
2. आंगनवाडी कार्यकत्री / सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
3. विज्ञापित पदों हेतु केवल आनलाईन आवेदन ही मान्य होगें। ऑफलाईन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नही होगें।
4. विज्ञापित पदों हेतु आनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि 08.12.2025 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी।
5. आंगनवाडी कार्यकत्री / सहायिका पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक – 01.07.2025 को 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।
6. उसी ग्राम सभा / वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला / विधिक तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
7. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी / सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा / परित्यक्ता के सम्बन्ध मे मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
8. गरीबी रेखा के नीचे की विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता महिलाएं न मिलने पर उसी ग्राम सभा / वार्ड (शहरी क्षेत्रो में) की निवासी गरीबी रेखा से उपर की विधवा महिला / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाए।
9. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा / वार्ड (शहरी क्षेत्रो में) की निवासी गरीबी रेखा के जीवनयापन करने वाले परिवार की महिलाए।
10. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व प्रमाण–पत्र ही मान्य होगे जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
11. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा।
12. यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है तो या कोई तथ्य आंकडे / शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक / पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेगें, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। स्वयं उत्तरदायी होंगी। त्रुटि सुधार हेतु ऑफलाईन आवेदन पर कोई विचार नही किया जायेगा।

13. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14.09.2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080.00 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 वार्षिक आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा, तहसील से ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र का ऑनलाईन सत्यापन किया जा सके।
14. एक आगनवाडी केन्द्र पर एक परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाडी कार्यकत्री / सहायिका पद पर नही की जाएगी।
15. रिक्त पदो का विस्तृत विवरण जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी / उप जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी / बाल विकास परियोजना अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर एवं विभागीय वेवसाइट https://upanganwadibharti.in पर देखा जा सकता है।

नोट– रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

(विनीत कुमार सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
सोनभद्र।

पृष्ठांकन पत्र सं0– C-2204 /तद्दिनांक–

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
4. समस्त उप जिलाधिकारी, सोनभद्र।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन०आई०सी०), सोनभद्र।
6. जिला सूचना अधिकारी, सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ कि अनिवार्यतः 02 मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुये अपने स्तर से ग्राम पंचायतों में प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
8. सम्पादक, दैनिक जागरण /अमर उजाला इस अनुरोध के साथ की उपरोक्त विज्ञप्ति निर्धारित शासकीय दरों पर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए बिल दो प्रति में अविलम्ब इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का विवरण सम्बन्धित कार्यालयों को उपलब्ध कराने के साथ ही समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुये प्राप्ति रसीद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं सम्बन्धित समस्त ग्राम प्रधान/सभासद को विज्ञप्ति का विवरण प्रचार–प्रसार हेतु प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
सोनभद्र।